राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

मतदान कार्मिक डाक मतपत्रों से कर सकेंगे मताधिकार का प्रयोग -आलोक गुप्ता

झुंझुनू, 11 जनवरी: जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव ड्यूटी में लगे मतदान दलों के कार्मिकों व पुलिस व्यवस्था के सुरक्षा कार्मिकों को डाक मत पत्र जारी कर मताधिकार का प्रयोग करने की छूट दी गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) ने बताया कि कार्मिकों के नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-1 में आवेदन पत्र भरवाकर सम्बन्धित क्षेत्र जहां पर उसका वोट है रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान दिवस के पांच दिन पूर्व एवं द्वितीय एवं तृतीय चरण के मतदान में लगे कार्मिक 24 जनवरी को सायं 5 बजे तक आवश्यक रूप से जमा करा देवें। यदि किसी कार्मिक को प्रारूप उपलब्ध नहीं हुआ हो ता सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर के यहां से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर ले। कार्मिकों की सुविधा के लिए वोटर लिस्ट जिसमें उसके वार्ड, भाग संख्या व क्रम संख्या देखी जा सकेगी भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि यह कार्मिक का दायित्व होगा कि वह उपरोक्त समयानुसार आवेदन सही ढंग से भरकर रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में जमा करा देवें। गलत भरे हुये फार्म एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यात्रा भत्ता प्रपत्र 14 जनवरी तक भिजवाने के निर्देश

झुंझुनू, 11 जनवरी: पंचायत आम चुनाव में मतदान दलों में कार्यरत समस्त रिटर्निंग अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों को आदेश दिये गये है कि वे अपने मतदान से सम्बन्धित यात्रा भत्ता प्रपत्र भरकर वेतन सत्यापित करवाकर सम्बन्धित तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 14 जनवरी तक आवश्यक रूप से भिजवा दे। यात्रा भत्ता प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि यात्रा भत्ता प्रपत्र सीधे ही प्रभारी अधिकारी यात्रा भत्ता भुगतान प्रकोष्ठ जिला परिषद कार्यालय में भी भिजवाये जा सकते है।

जिला परिषद के सदस्यों के 24 जनों के 58 नामांकन पत्र खारिज

झुंझुनू, 11 जनवरी: जिले की पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के वार्डो के लिए दाखिल नाम निर्देशन पत्रों की सोमवार को संवीक्षा की गई। जिले में जिला परिषद सदस्यों के 35 वार्डो की संवीक्षा के दौरान 24 जनों के 58 नामांकन पत्र रद्द हो गये है जबकि 2 जनों द्वारा अपने नामांकन पत्र वापस लेने के बाद अब 166 जनों के नामांकन पत्र सही पाये गये है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी के.एल. मीणा ने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के उम्मीदवारों द्वारा दाखिल परचों की संवीक्षा के दौरान पंचायत समिति अलसीसर में 10 जनों के परचे, चिड़ावा में 14 जनों के,

बुहाना में 4 जनों के, खेतड़ी में 38 जनों के, नवलगढ़ में 3 जनों के, सूरजगढ़ में 7 जनों के एवं पंचायत समिति झुंझुनू में 12 जनों के नाम निर्देशन पत्र खारिज हुये है।

नामांकन पत्र वापस लेने का आज अन्तिम दिन

झुंझुनू, 11 जनवरी: जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी मंगलवार को प्रात: 9.30 बजे से 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक गुप्ता ने बताया कि 3 बजे के बाद कोई भी अभ्यर्थी अपना नामांकन पत्र वापस नहीं ले सकेगा। अपराह्व 3 बजे के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित कर चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जायेगा।